अप्रार्थीया संख्या 2 जीवित पुत्रिया है। अतः प्रार्थीया के उक्त वादग्रस्त भूमि में पैतृक अधिकार निहित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उभयपक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 28 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम मानसरखेडी, तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थीया खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नहीं है एवं प्रार्थीया के चाचा जगन्नाथ व काल्या के वारिसों के नाम जमाबन्दी में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होकर काबिज काश्त होना स्पष्ट है। अतः वादग्रस्त आराजी के मौके पर उभयपक्ष अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ता 11 के हक में सिद्ध होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**— आराजी मुतनाजा के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार नहीं होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ता 11 के हक में प्रमाणित है।

3. **अपूर्णनीय क्षतिः**— चूंकि विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ता 11 काबिज काश्त है। यदि प्रार्थीगण के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों से वंचित होना नहीं पडेगा तथा अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मानसर खेड़ी के आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 28 रकबा 4 बिस्वा में प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना व हक हकूकों प्रभवित नहीं है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ता 11 के होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, ज... (राज.)